

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)
पीठासीन अधिकारी— श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

<u>मिसल संख्या:</u>	<u>तारीख दायरा</u>	<u>तारीख निर्णय</u>
224/अपील/2017	25.09.2017	14.05.2018

बद्री प्रसाद आ0 देवीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी (राजस्थान)

— अपीलांट

— बनाम —

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार देई जिला बून्दी (राज0)

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 26.09.2016
नायब तहसीलदार, देई
अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से — श्री सुरेन्द्र कुमार लाठी, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से — परोकार सरकार

—: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, देई द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 07 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम पीपल्या तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 175/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट को नोटिस की विधिवत् तामील नहीं होने के बावजूद भी चुनोतीपूर्ण निर्णय



पारित किया गया है। अपीलान्त को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है केवल पटवारी रिपोर्ट व बयान के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों की अवहेलना है। अपीलान्त का निर्णय में अंकित भूमि पर कब्जा नहीं है एवं ना ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्त ने पैनाल्टी की राशि जमा करा दी है। अपीलान्त ने विवादित भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है। कब्जा छोड़ने बाबत पटवारी रिपोर्ट की छायाप्रति पेश की जा रही है। जिससे अपीलान्त का विवादित भूमि पर कब्जा छोड़ना प्रमाणित होता है। अपीलान्त के अभिभाषक ने बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 1996 पेज 583 नजीर पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्त स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.09.2016 निरस्त फरमाया जावे।

परोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्त को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्त को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त ने अपील में निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है तथा बकाया पैनाल्टी जमा करवा दी गई है। इस बाबत पटवारी रिपोर्ट की छायाप्रति पेश की गई है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्त ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्त को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने बाबत कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्त को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्त को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्त को बेदखल किये गये निर्णय की प्रति तथा पटवारी रिपोर्ट व पटवारी बयान में अंकन है तथा अपीलान्त को गत वर्ष बेदखल किये गये निर्णय की प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय की

पत्रावली में शामिल है जिससे अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्त विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा बहुत अधिक चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।
आदेश आज दिनांक 14.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Handwritten signature)
14/5/18
(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)

अपील विख्यात अतिरिक्त दिनांक 25.05.2016

अपील विख्यात अतिरिक्त दिनांक 25.05.2016

अपील विख्यात अतिरिक्त दिनांक 25.05.2016

अपील विख्यात अतिरिक्त दिनांक 25.05.2016

अपील विख्यात अतिरिक्त दिनांक 25.05.2016

अपील विख्यात अतिरिक्त दिनांक 25.05.2016

अपील विख्यात अतिरिक्त दिनांक 25.05.2016

अपील विख्यात अतिरिक्त दिनांक 25.05.2016

अपील विख्यात अतिरिक्त दिनांक 25.05.2016

अपील विख्यात अतिरिक्त दिनांक 25.05.2016

अपील विख्यात अतिरिक्त दिनांक 25.05.2016

(Faint handwritten signature)